भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

का० आ० 176(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अपनी अधिसूचना सं० 434/मिजो/72 (1), तारीख 21 फरवरी, 1972 को अधिक्रांत करते हुए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित आफिसरों को मीजोरम संघ राज्यक्षेत्र में, मीजोरम (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एतद्द्वारा नियुक्त करता है :

1 अपर उपायुक्त, जिला मीजो, एजल ।

2 उपखंड आफिसर, लुंगलेह ।

3 उपखंड आफिसर, पाबी आस्पेर, उपखंड, सैहा ।

[सं० 434/मीजो०/72 (1)]

आदेश से,

ए० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 1972/फाल्गुन 17, 1893
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 1972/PHALGUNA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 7th March, 1972

S.O. 177(E)/15/IDRA/72(5).—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is engaged in the Scheduled Industries, namely, industrial instruments, machine tools etc.

And whereas the Central Government is of the opinion that there has been a substantial fall in the volume of production in respect of the articles manufactured in the said industrial undertaking, for which, having regard to the conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Shri A. Bose, Special Officer & *Ex-officio* Secretary, to the Government of West Bengal, Department of Commerce and Industries, Calcutta

Members

Shri H. K Paul Deputy Manager Industrial Reconstruction Corporation of India, Calcutta

Shri S C Banerjee, Industrial Adviser Directorate General of Technical Development New Delhi.

2. The above body shall submit its report within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette

[No 25(26)/72-PEC.]

K S BHATNAGAR, Jt Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 7 मार्च, 1972

का० आ० 177(अ) 15/आई० डी० आर० ए० 72(5).—यत मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् औद्योगिक उपकरण, मशीनी औजार आदि के उद्योग में लगा है,

और यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं से सम्बन्धित उत्पादन के परिमाण में भारी कमी आ गई है। जिसके लिए वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा एक निकाय नियुक्त करती है जिस में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष :—

श्री ए० बोस,
विशेष अधिकारी एवं पदेन सचिव
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता।

सदस्य :—

श्री एच० के० पाल,
उप प्रबन्धक,
भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम,
कलकत्ता।

श्री एस० सी० बनर्जी,
औद्योगिक सलाहकार
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

2. उपरोक्त निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।

[सं० फा० 25(26)/72-पी० ई० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972